

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-39/2020

संजय कुमार यादव याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री एच०के० शिकरवार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री राकेश कुमार, ए०पी०पी०।

4/24.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता कटकमदाग थाना काण्ड संख्या 60 वर्ष 2019 तदनुसार,
जी०आर० संख्या 884 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने सूचक के पति के सिर
पर टांगी से वार किया और उसके बचाव में आए अन्य लोगों के साथ भी मारपीट किया।
सूचक के पति की मृत्यु हो गई

आरोपों की प्रत्यक्ष प्रकृति के संदर्भ में, मैं इस आवेदन को अनुज्ञात करने
का इच्छुक नहीं हूँ और इसे खारिज किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)